

The Right to Disconnect Bill, 2025(Amendment of Article 43A) -Introduced

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work related telephone calls and emails beyond work hours and on holidays and right to refuse to answer calls and emails outside work hours and for all matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य-समय से परे और छुट्टियों में कार्य से संबंधित टेलीफोन कॉल तथा ई-मेल से संपर्क-विच्छेद तथा कार्य-समय से परे कॉल उठाने और ई-मेल का जवाब देने से इंकार करने हेतु अधिकार प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, I introduce the Bill.